न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 49 / 2016

अनवान :—

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

1— श्री पवनसिंह लिपिक ग्रेड—द्वितीय राशन भण्डारपाल उपयोगकर्ता केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
2— फर्म मैसर्स ब्ल्यू स्टार ट्रेडर्स नानू भाई हवेली के पास, लक्ष्मीनाथ मन्दिर रोड़, बीकानेर
3— श्री विक्की मोदी जरिये प्रो. मैसर्स ब्ल्यू स्टार ट्रेडर्स नानू भाई हवेली के पास, लक्ष्मीनाथ मन्दिर रोड़, बड़ा बाजार बीकानेर.
4— मैसर्स सुन्दरलाल पीति फड़ बाजार, बीकानेर
5— श्री सुभाष पीति पुत्र आशाराम पीति जरिये पार्टनर— मैसर्स सुन्दरलाल पीति फड़ बाजार, बीकानेर
6— श्री आशाराम पीति पुत्र सुन्दरलाल पीति जरिये पार्टनर मैसर्स फर्म सुन्दरलाल पीति फड़ बाजार बीकानेर
7— फर्म मैसर्स भोपताराम एण्ड कम्पनी, ब्रांच एफ—79 औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल मुख्यालय पी—19 मुख्य मण्डी मण्डोर रोड़, जोधपुर (राज.) 3402007
8— श्री ज्ञानेश्वर भाटी जरिये (कर्ता एच यू एफ) फर्म मैसर्स भोपताराम एण्ड कम्पनी, निवासी — 170 ए, 1 बी रोड़ शरदारपुरा जोधपुर राजस्थान
9— पंकज गुप्ता जरिये फैक्ट्री मैनेजर एवं नॉमीनी फर्म अदानी विल्मार लिमिटेड सिलमोर रोड़ कोटा— जयपुर हाईवे, बूंदी (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उनके प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी संख्या— 1 — अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से — श्री हीरालाल जोशी अधिवक्ता
4. अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की ओर से— श्री प्रदीप कुमार शर्मा अधिवक्ता
5. अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से — श्री जयराज टांटिया अधिवक्ता

—: निर्णय :— **दिनांक 03.11.2017**

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक FSSA/FSO/2015/46 दिनांक 19.1.2015 की अनुपालना में दिनांक 05.08.2015 को समय करीब 2 पीएम बजे निरीक्षण के दौरान केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में कैदियों को उपलब्ध कराया जा रहा खाद्य पदार्थ की गुणवता की जांच हेतु मौके पर उपस्थित श्री पवन सिंह रसद भण्डारपाल उपयोगकर्ता के यहां भण्डारगृह में रखा खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड तेल (फोरच्यून) 15 किलो के 8 नग टिन शिल्ड पैक में मिलावट की आशंका होने पर उक्त टिन सोयाबिन रिफाइण्ड (फोरच्यून) खाद्य तेल के पीपों में एक पीपा

लियां। उक्त पीपों पर लेबल में बेच संख्या ABSB25D02 पैकिंग दिनांक 17.02.2015 उत्पादन स्थान – आदानी विमार लिमिटेड सिलौर रोड़, कोटा जयपुर हाईवे बूंदी (राज.) अंकित था। तदन्तर उक्त स्टील के साफ सुथरा दुर्गन्ध रहित जग में तोल कर 1600 ग्राम रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (फासेरच्यून) को नाप बराबर–बराबर भागों में बांटते हुए चार कांच की साफ सूखी एवं दुर्गन्धरहित शीशीयों में जांच के लिए तेल को भर कर और एक एयर टाईट रबर के ढक्कन से बन्द किया मौके पर चार लेवल फार्म उसमें दर्शायेनुसार तैयार कर उस पर गवाहान एवं भण्डारपाल के हस्ताक्षर कर एवं स्वयं अपने हस्ताक्षर किया तथा नियमानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर उक्त नमूना शील्ड पैक शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 22.09.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (फासेरच्यून) सबस्टेण्डर्ड पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगणों द्वारा केन्द्रीय कारागृह के कैदियों को रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (फासेरच्यून) सबस्टैण्डर्ड स्तर का उपलब्ध कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1, 7 व 8 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा शेष अप्रार्थीगणों के अधिवक्ताओं ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (फासेरच्यून)का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में केन्द्रीय कारागृह के भण्डार के यहां रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (फासेरच्यून) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक L.S. 1972/Act/ 2015/1247 दिनांक 22.9.2015 अनुसार Acid value Not more than 0.5 की तुलना में 0.67 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है इस प्रकार केन्द्रीय कारागृह के भण्डार में रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (फासेरच्यून) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपने जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्तियों में उल्लेखित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि परिवादी पक्ष को निरीक्षण कार्यवाही करने के कोई अधिकार नहीं थे परिवादी पक्ष द्वारा नमूना जांच की जो रिपोर्ट आई थी उसकी प्रति अप्रार्थी पक्ष को नहीं दी गई इस कारण अप्रार्थी पक्ष नियमों के अतंर्गत पुनः नमूना जांच

करवाने से वंचित रही। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा मुख्य रूप से प्रारभिक आपत्ति के संबंध में यह तर्क रखा था कि अप्रार्थी पक्ष के यहां से नमूना दिनांक 05.08.2015 को लिया गया था जिसकी रिपोर्ट दिनांक 22.09.2015 परिवादी पक्ष को प्राप्त हो चूकी थी। इसके पश्चात् परिवाद पक्ष द्वारा दिनांक 21.09.2016 को परिवाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि अधिनियम की धारा 77 प्रावधानो के अतंर्गत नियत समयावधि समाप्त हो जाने पश्चात् प्रस्तुत किये जाने के कारण इस परिवाद पर माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस का समापन करते हुए कथन किया की परिवादी पक्ष द्वारा दोषित आधारो पर प्रस्तुत किये जाने के कारण एवं धारा 77 प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण सर्वप्रथम अप्राथीपक्ष द्वारा रखी प्रांरम्भिक आपत्तियों को स्वीकार फरमाया जाकर परिवादी पक्ष का परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया स्टेट परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में अप्राथीगणों की ओर से जो जवाब प्रस्तुत हुए है। इन जवाबों में परिवाद मे उल्लेखित तथ्यो का विरोध करते हुए मुख्य रूप से प्रारम्भिक आपत्ति इस आश्य की है कि परिवादी द्वारा सेम्पल दिनांक 05.08.2015 को लिया गया तथा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को दिनांक 05.08.2015 को भेजा गया। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 22.09.2015 को प्राप्त हुई तथा परिवाद 21.09.2016 को प्रस्तुत किया गया। परिवाद धारा 77 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज योग्य है। इस संबंध में हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 77 प्रावधानो का अवलोकन किया। इस प्रावधान के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि " इस अधिनियम में किसी बात की होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध के कारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।" इसी प्रावधान के परंतुक के अनुसार "परंतु खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से तीन वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भितर अभियोजन की मंजूरी दे सकेगा।" पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण मौका स्थल से दिनांक 05.08.2015 को सेम्पल लिया गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 22.09.2015 को प्राप्त हो चुकी थी। परिवादी पक्ष को सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार नियत समय अवधि एक वर्ष तथा अर्थात इस प्रकरण हेतु 04.08.2016 से पूर्व परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना प्रावधानो के अनुसार आवश्यक था परंतु इस प्रकरण में परिवाद 21.09.2016 को प्रस्तुत किया गया है। जो कि प्रावधानो के विरूद्ध नियत समय अवधि एक वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। धारा 77 के परंतुक के अनुसार खाद्य् सुरक्षा आयुक्त लेखबद्ध किये जाने वाले कारणो से तीन वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भीतर अभियोजन की मंजूरी दे सकेगा। पत्रावली के अवलोकन से इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति क्रंमाक CMHO/FSSA/2016/9743 दिनांक 20.09.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रदत्त की गई है। जो

कि धारा 77 के प्रावधानो के अनुसार एक वर्ष की समयावधि के पश्चात प्रदत्त की गई है। इस अभियोजन स्वीकृति में धारा 77 के परंतुक में लिये गये प्रावधानो की कत्तई पालना नही की गई है इसलिए दिनांक 20.09.2016 को अभिहित अधिकारी द्वारा जारी की गई अभियोजन स्वीकृति अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती । परिवादी पक्ष द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 77 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत एक वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद पर न्यायालय धारा 77 के प्रावधानों का परिवादी पक्ष द्वारा उल्लंघंन किये जाने के कारण अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेना न्यायोचित नहीं समझती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में परिवादी पक्ष द्वारा अप्रार्थीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद जुर्म अतर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 अधिनियम की धारा 77 प्रावधानों के विपरीत एक वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने के कारण न्यायालय अप्रार्थी के पक्ष के विरूद्ध उक्त जुर्म में प्रसंज्ञान नहीं लिये जाने का आदेश दिया जाता है। परिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपर्युक्त आधारो पर धारा 77 प्रावधानो के अतंर्गत खारिज किया जाकर अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध परिवादित कार्यवाही समाप्त की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक **03.11.2017** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)
बीकानेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर